पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुपालन में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–232(अम्बेडकर नगर–बांदा) के प्रस्तावित दो लेन एक्सप्रेस–वे के क्षमता विस्तार एवं चौड़ीकरण हेतु जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.03.2012 को कलेक्ट्रेट सभागार फतेहपुर में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सडक यातायात को कुशल व सुरक्षित बनाने के लिये विभिन्न राजमार्ग की क्षमता का विस्तार एवं चौडाई बढ़ाने का निश्चय किया गया है। उक्त के अनुक्रम में एन0एच–232 जो कि अम्बेडकर नगर–बांदा(किमी0 00.00 से किमी0 289.600 तक) के बीच है।जनपद फतेहपुर में यह मार्ग किमी0 194.000 पर असनी से प्रारम्भ होकर किमी0 251.000 पर दतौली में समाप्त होता है। जनपद फतेहपुर में प्रस्तावित परियोजना मार्ग की कुल लम्बाई 57.000 किमी0 है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से पहले लोक सुनवाई कराने का प्राविधान है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफीकेशन 2006 के अनुरूप किया जाना होता है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी, फतेहपुरको प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक– एफ 93497/सी–9/एन0ओ0सी0/102/2011/फतेहपुर दिनांक 13.10.2011 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा दिनांक 13.03.2012को अपरान्ह 2:00 बजे कलेक्ट्रेट फतेहपुर के सभागार में लोक सुनवाई कराने हेतु निर्धारित किया गया एवं अपर जिलाधिकारी–वित्त एवं राजस्व, फतेहपुर को लोक सुनवाई में अपना प्रतिनिधि नामित किया गया। उक्त लोक सुनवाई दिनांक 13.03.2012 को कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहपुर में सम्पन्न हुयी। उक्त लोक सुनवाई की सूचना सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र(दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स) में क्रमश दिनांक 11.02.2012 एवं दिनांक 12.02.2012 को प्रकाशित करवाया गया।

दिनांक 13.03.2012 को उक्त स्थल पर पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),फतेहपुर की अध्यक्षता में संचालित की गई जिसमेंउ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबादके क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 मो0 सिकन्दर, सहा0पर्या0 अभियंता, इं0 मनोज कुमार,तथा भा0रा0रा0प्रा0, रायबरेली, के प्रबंधक (तकनीकी)श्री बी0पी0 पाठक, एवं सलाहकार संस्था मॉट मैक डोनाल्ड प्रा0 लि0 के श्री पारितोष सिंह, समन्वयक एवं श्री शशांक शुक्ला, परियोजना प्रबंधक तथा श्री डी0आर0 यादव, सहायक प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, फतेहपुर उपस्थित रहे।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। सुनवाई के दौरान विभिन्न स्वंय सेवी संस्थाओं के सदस्य, आस–पास के ग्रामों के प्रधान एवं अंन्य निवासीगण उपस्थित रहे। लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री बी0पी0 पाठक, प्रबन्ध तकनीकी भा0रा0रा0प्रा0 रायबरेली द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं जनसामान्य का स्वागत किया गया, डॉ0 मो0 सिकन्दर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा लोक सुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा सलाहकार संस्था के समन्वयक श्री परितोष सिंह द्वारा स्लाईड्स के माध्यम से परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई। उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव व्यक्त कियेः–

1. श्री धर्मवीर सिंह, जौरामनगर, फतेहपुर द्वारा राजमार्ग के बाई–पास का पुल के होकर गुजरने पर क्या उसको चौड़ा किया जायेगा तथा उसके किनारे नाले इत्यादि की व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया, जिसके उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जायेगी एवं जनसामान्य को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जायेगी।
2. श्री विक्रम पाण्डेय, ग्राम एवं पोस्ट कुल्ली, थाना खखेरू, फतेहपुर द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान पड़ने वाले धार्मिक स्थल जैसे मन्दिर/मस्जिद इत्यादि अगर प्रभावित होंगे तो इसके लिए क्या प्राविधान किये जायेंगे, के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण के दौरान यदि ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया जाता है तो प्रशासन के सहयोग से इस समस्या का निराकरण किया जायेगा।
3. श्री रामकरन, हुसैनगंज, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत फतेहपुर जिले में कोई प्रस्तावित बाईपास है या नहीं, यदि है तो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर समाप्त? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि बाईपास ढोड़ियाही गाँव से प्रारम्भ होकर 11 किमी0 की दूरी पर ढकौली गाँव में समाप्त होगी।
4. श्री प्रदीप कुमार ग्राम–ढकौली पो0–छकौली, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि सड़क निर्माण के दौरान वृक्षों के कटान से पर्यावरण प्रभावित होगा, इसको बचाने के क्या उपाय किये जायेगें? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण के दौरान कम–से–कम वृक्षों को काटा जायेगा, यदि वृक्ष काटे जाते हैं तो काटे गये वृक्षों की संख्या से दो गुना ज्यादा वृक्ष लगाये जायेगें एवं उनका समय–समय पर अनुरक्षण भी किया जायेगा।
5. श्री सुशील वर्मा, ग्राम–असनी, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल मिट्टी से वहाँ रहने वालों और दो पहिया वाहन वालों को काफी परेशानी होगी इससे बचने के क्या उपाय किये जायेगें? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के विनिर्माण के दौरान नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा एवं परियोजना में प्रयुक्त सामग्रियों के परिवहन में ढके वाहनों का प्रयोग किया जायेगा अर्थात सामग्रियों को ढक कर लाया एवं ले जाया जायेगा।
6. श्री मणिप्रकाश दुबे, एडवोकेट, फतेहपुर द्वारा तीन प्रश्न पूछे गये 1– राजमार्ग कब से बनना शुरू होगा? 2– फतेहपुर बाई पास में क्या ओवर ब्रिज बनेगा? 3– परियोजना संचालन के समय समस्याओं के निराकरण हेतु सम्पर्क कार्यालय व पदनाम का विवरण.... के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ–साथ अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही परियोजना प्रारम्भ की जायेगी। फतेहपुर बाई पास–एन0एच00–2 में कोई ओवर ब्रिज नहीं बनेगा बल्कि आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण किया जायेगा एवं परियोजना संचालन के समय डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों के दूरभाष एवं कार्यालयों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
7. श्री शोभित, खागा, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि सड़क पर चलने वाले पशुओं को रोकने के लिय क्या प्रबंध हैं? के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु धातु कॉस–बैरियर्स का निर्माण किया जायेगा।
8. श्री अमित उपाध्याय, खागा, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि ग्राम–लदिगवॉ में सड़क एक अंधे मोड़ से होकर गुजरती है जिसके कारण वहाँ सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं, क्या उस मोड़ को सुधारा जायेगा, के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क को आवश्यकतानुसार चौड़ा किया जोयेगा एवं संकेतक इत्यादि के माध्यम से राहगीरों को अवगत कराया जायेगा।

9. श्री उमेश कुमार मिश्र, एडवोकेट, हुसैनगंज, फतेहपुर द्वारा पूछा गया कि क्या फतेहपुर में एन0एच0–2 को कास करने के लिए कोई ओवर ब्रिज की व्यवस्था है कि नहीं, यदि नही तो किया जाना चाहिये। क्योंकि सबसे अधिक मार्ग दुर्घटनायें पक्का तालाब के आगे लखनऊ की तरफ एन0एच0–2 चौराहे पर होती है। के उत्तर में परियोजना प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर किसी ओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित नहीं है किन्तु दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संभव प्रयास किये जायेगें।

लोक सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय अपर जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा लोक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों की जागरूकता, उत्सुक्ता की प्रशंसा की गई एवं यह विश्वास दिलाया गया कि परियोजना के कार्यान्वयन के समय कोई प्रदूषण संबंधित या अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भा0रा0रा0प्रा0 एवंज जन सामान्य के सहयोग से किया जायेगा एवं इसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी द्वारा भा0रा0रा0प्रा0 के अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि काटे गये वृक्षों की संख्या दो गुने ही नई बल्कि उससे कहीं और अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाये एवं उनका उचित प्रकार से रख–रखाव भी किया जाये।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये, लोक सुनवाई हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अम्बेडकर नगर–बांदा तक प्रस्तावित राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधार हेतु जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत आच्छादित हाइवे के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल,वायु,ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन की शर्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है:–

1. प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से प्रदूषित जल, वायु, ध्वनि आदि से ग्रामीणों पर कुप्रभाव से बचाने के आवश्यक उपाय किये जाये।
2. परियोजना में सड़क के दोनो तरफ पर्यावरणीय अनुकूल सघन वृक्षारोपण किया जाये। इस संबंध में समस्त कृत कार्यवाही एवं अभिलेख कार्यालय में प्रेषित किये जायें।
3. परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त इकाई/उद्योग से ही प्राप्त की जाये।
4. कशर, बैच मिक्सिंग एवं हाट मिक्सिंग प्लांट इत्यादि की स्थापना बोर्ड से अनापत्ति प्रामाण–पत्र प्राप्त करनें के पश्चात ही स्थापना कार्य किया जाये।
5. परियोजना के निर्माण में वर्षा–जल संचयन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

अन्त में लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी–वित्त एवं राजस्व, फतेहपुर द्वारा लोक सुनवाई प्रकिया/कार्यकम एवं प्रस्तावित परियोजना पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त लोक सुनवाई का इ0आई0ए0 नोटिफीकेशन 2006 में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार लोक सुनवाई प्रकिया की विडियोग्राफड सी0डी0, उपस्थिति सीट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

13.3.2012   13/3/12

(डॉ0 मो0 सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इलाहाबाद

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी–वित एवं राजस्व
फतेहपुर

E:\R K PATHAK - STENO\AE\Nirikshan Akhya

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (अम्बेडकरनगर – बांदा) के निर्माण हेतु जनपद–फतेहपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति

दि0: 13.03.2012 स्थान : कलेक्ट्रेट सभागार, फतेहपुर समय : अपरान्ह 2.00

क्रमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.	सर्वश्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) फतेहपुर		
2.	डा० मो० सिकन्दर	क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, इलाहाबाद	9415576183	[signature]
3.	डा० आर. यादव	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र फतेहपुर	9415186270	[signature]
4.	श्री बी० पी० पाठक	प्रबन्धक (तक०), भा० रा० रा० प्रा०, रायबरेली	9415175738	[signature]
5.	श्री परितोष सिंह	समन्वयक, M/s मॉट मैक डोनाल्ड	9196007517	[signature]
6.	सुशील कुमार	उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [illegible]	9760199890	[signature]
7.	शशांक शुक्ला	मे. मॉट मैक डानल्ड प्रा.लि., रायबरेली	9415954424	[signature]
8.	राजकुमार पाठक	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद	9454674913	[signature]
9.	अजय कुमार गुप्ता	नउवाबाग फतेहपुर	9936330342	[signature]
10.	देवेश कुमार	करनपुर फतेहपुर	9559588556	Avesh
11.	अशोक कुमार	[illegible]पुर फतेहपुर	7860330880	[signature]
12.	विश्वनाथ	रघुनाथपुर [illegible] फतेहपुर	[illegible]	[signature]
13.	अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	20 A.B. रेलवे कालोनी फतेहपुर	9236747515	[signature]
14.	रवि प्रकाश [illegible]	92 सिविल लाइन्स फतेहपुर	0941518646[illegible]	[signature]
15.	जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव [illegible]	सिविल लाइन्स [illegible]	94150[illegible]	[signature]
16.	राजूपटेल समाजसेवी	सिविल लाइंस	9839479000	[signature]
17.	[illegible] सिंह	[illegible] फतेहपुर		
18.	विक्रम पाण्डेय	कुल्ली कुल्ली फतेहपुर		
19.	राजेश सिंह	सैदपुर पचमई फतेहपुर	9838261265	[signature]

मलखान सिंह जैतपुर [illegible] फतेहपुर मलखान[illegible]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (अम्बेडकरनगर – बांदा) के निर्माण हेतु जनपद–फतेहपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
20.	मलखानसिंह	जौनपुर शाह फतेहपुर		मलखान
21.	कुबेरसविता	ग्राम खेसहन हथगांव फतेहपुर		कुबेरसवि
22.	रामभक्त	ग्राम कवई		रामभक्त
23.	प्रदीपकुमार	ग्राम छकौली	9984960664	प्रदीपकु
24.	रामकान्त	ग्राम हसेनापुर	9651600416	रामका
25.	Amit Upadhyay	Khaga	8005244544	Amit
26.	Shobhit	Khaga	9795782546	Shobh
27.	Ashutosh	Khaga	8896190903	[illegible]
28.	Chandra[illegible]	Futeer		[illegible]
29.	सुशील वर्मा	असनी	8115758288	सुशील वर्मा
30.	अर्जुन सिंह	शिवपुरी	916166155	[illegible]
31.	संतोष कुमार सिंह	शिवपुरी	9919183710	[illegible]
32.	अर्जुन	फतेहपुर		[illegible]
33.	वीरसिंह	U.P. P.C.B. Alld.	9450594924	B. Sing
34.	सुमेन्द्र राय	U.P. P.C.B. Alld.	9307445484	[illegible]
35.	राम बहादुर	फतेहपुर	9450204622	[illegible]
36.	Somdatta	फतेहपुर	7388499438	Somdatta
37.	राम किशन	फतेहपुर	8357209798	[illegible]
38.	Abdul Shami Shiva	फतेहपुर	09454931121	[illegible]
39.	सन्तोष कुमार	दुमौली	9927802210	Santosh
40.	विनीत चौधरी	शाह		[illegible]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 (अम्बेडकरनगर – बांदा) के निर्माण हेतु जनपद–फतेहपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थिति

कमांक	नाम	पता	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
41.	आशीष शुक्ला	बहुआ	8372599998	[signature]
42.	[illegible]	[illegible]		[signature]
43.	राम [illegible] सिंह	फतेहपुर		[signature]
44.	[illegible] देव	[illegible]		[signature]
45.	[illegible]	फतेहपुर		[signature]
46.	[illegible]	फतेहपुर		[signature]
47.	Manoj Kr. chaurasia	AEE, UPPCB, Allahabad	9451360993	[signature]
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				